XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

(14)

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद संख्या–111/2010

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत

श्रीलाल हाँसदा, पिता–स्व0 चतुरी हाँसदा, साकिन–मधुबनी, थाना–के0 हाट, जिला– पूर्णियाँ. ....
आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.............................
विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी पुत्री की शादी के लिये मौजा–मरंगा, थाना नं0–110, खाता संख्या–1576, खेसरा संख्या–2405, रकवा–02 कट्ठा जमीन सतीश कुमार यादव एवं प्रेम कुमार यादव, पिता–श्री नन्द लाल यादव, साकिन–मरंगा, टोला–उफरैल के साथ बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत बिक्री करने के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि उनकी लड़की शादी करने के योग्य है। वह आर्थिक रूप से कमजोर है। प्रश्नगत जमीन बिक्री करने के अलावे अन्य कोई साधन नहीं है। लड़की की शादी करने के लिये जमीन बिक्री करना चाहता है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने पत्रांक 1914, दिनांक 21.11.2011 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व से प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट अनुशंसा है। इस आलोक में आवेदक को अपनी पुत्री की शादी के लिये भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ